कार्यालय – नजारत अनुभाग, वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी–खीरी।

इश्तिहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अहाता वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर–खीरी के प्रांगण में स्थित कैंटीन(एक कमरा) वाहन स्टैण्ड, फोटो स्टेट(एक दुकान शटरदार), स्टेशनरी एवं फोटोग्राफी (एक दुकान शटरदार) के प्रत्येक एक दुकान के ठेके हेतु वर्ष 2021–22 के लिए दिनांक 15.09.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अलग–अलग ठेकों की नीलामी दिनांक 13.09.2021 को वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर–खीरी के प्रांगण में अपरान्ह 4.30 बजे से की जायेगी।
अतएव जिस किसी को उक्त ठेकों की नीलामी हेतु बोली बोलना हो, वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त बोली बोल सकता है।

1– स्थायी आवास प्रमाण पत्र

2– फोटो आइ.डी.

3– दो फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं हैसियत प्रमाण पत्र

4– कैंटीन, वाहन स्टैण्ड, फोटो स्टेट व स्टेशनरी, फोटोग्राफर के प्रत्येक एक दुकान आदि की बोली बोलने वाले को बतौर काशनमनी रुपया 10,000/ बोली बोलने के पूर्व उपनाजिर के पास टेण्डर द्वारा नकद जमा करानी होगी। बोली बोलते समय नकद धनराशि काशनमनी के रुप में स्वीकार नही की जायेगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति इस जजी में पूर्व का ठेकेदार है तो उसे दिनांक 10.09.2021 तक उप–नाजिर द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके दाखिल करना होगा।

नं0–5 जिस व्यक्ति के ठेके की बोली नीलामी अधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए समाप्त की जायेगी, उसे अपनी बोली के समाप्त होने के तुरन्त बाद अपनी बोली का 1/2 भाग नकद तुरन्त उप–नाजिर के पास जमा कराना होगा।

6– जो ठेके मु0 10,000/–रुपये तक की बोली में समाप्त होंगे, उन ठेकों की पूरी रकम ठेके की नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उप–नाजिर के पास काशनमनी के रुप में जमा करानी होगी।

7– जो ठेके मु0 10,000/–रु0 से अधिक में दिये जायेंगे, उन ठेकेदारो को अपनी बोली का 1/4 भाग तुरन्त तथा शेष 1/3 भाग अक्टूबर, 2021, शेष 1/3 भाग माह दिसम्बर, 2021, शेष 1/3 भाग माह फरवरी, 2022 तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

8– किसी भी ठेके की नीलामी की अधिकतम बोली तब तक अंकित नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उसे माननीय जिला न्यायाधीश खीरी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये। माननीय जिला न्यायाधीश खीरी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेके को अधिकतम बोली बिना कोई कारण बताये स्वीकार न करें तथा कम बोली अपनी बोली इच्छा विवेक से स्वीकार कर लेवें।

9– ठेकेदारों द्वारा जो काशनमनी जमा की जायेगी उसे ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस किया जायेगा तथा उसे समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि कोई ठेकेदार धारा 7 की शर्तों के अनुसार धनराशि समय से नही जमा करता है तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह काशनमनी को जब्त कर ठेका निरस्त कर दें।

10– जिन खाद्य पदार्थो की विकी के लिए लाइसेंस की जरूरत है, उनके ठेकेदारों को नगरपालिका या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी से या सम्बन्धित विभाग से उन पदार्थो की विकी के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

11– प्रत्येक ठेकेदार अपनी ठेकेदारी का कार्य स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि या नौकरों के माध्यम से संचालित करायेगा। ठेके का किसी व्यक्ति के नाम स्थानान्तरण नहीं करेगा और न ही किसी को शिकमी किरायेदारी पर देगा, यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह ठेके को निरस्त कर ठेके की धनराशि को जब्त कर लेवे।

12– सभी खाद्य पदार्थो के ठेकेदारी को अपनी दुकान पर विकी हेतु सामानों की सूची तथा मूल का विवरण टांगना अनिवार्य होगा। सभी खाद्य पदार्थो का मूल व गुणवत्ता स्थानीय बाजार के भाव के अनुरुप होगा। खाद्य पदार्थो के पदार्थो के मूल्यों का निर्धारण प्रभारी अधिकरी नजारत द्वारा किया जायेगा। सभी खाद्य पदार्थो को जाली से ढककर रखना अनिवार्य होगा।

13– सभी खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता एवं कीमत की आकस्मिक जॉच समय–समय पर प्रभारी अधिकारी नजारत, माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी द्वारा की जा सकती है तथा उनके द्वारा समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाता रहेगा।

14– किसी भी ठेकेदार को अपने ठेके के स्थान पर दीवानी न्यायालय के प्रांगण के कोई स्थायी/अस्थाई निर्माण का अधिकार नही होगा तथा उन्हें दिनांक 31.03.2022 की सांय 5 बजे तक दीवानी न्यायालय प्रांगण से अपनी दुकान आदि अन्य सामान हटा लेना होगा।

15– साइकिल स्टैण्ड के ठेकेदार प्रत्येक व्यक्ति को जो उनके स्टैण्ड पर साइकिल, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं उसे टिन के दो टोकन जारी करेंगे, जिसमें एक टॉकन सम्बन्धित वाहन पर लगाया जायेगा तथा दूसरा टोकन उसी नम्बर का सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा। तभी सम्बन्धित कोई भी वाहन के खो जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को स्टैण्ड के चारों ओर कांटेदार तार या बांस का बड़ा बाड़ा बनवाकर रखना होगा। सम्बन्धित वाहन उस बाड़े व कांटेदार तार का बाड़ा बनाकर सम्बन्धित वाहन उस वाड़े के अन्दर ही रखे जा सकेंगे। सभी दैनिक मासिक स्टाफ हेतु तथा बाहरी व्यक्ति हेतु जो दरें हैं, साफ–साफ शब्दों में स्टैण्ड के बाहर लिखकर टांगना अनिवार्य होगा।

16– जिन ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत होगा, उन ठेकेदारों का स्वीकृति के दिन से 15 दिन के अन्दर वर्ष 2021–22 दिनांक 15.09.2021 से 31.03.2022 तक के लिए दिए गये ठेकों का ठेकानामा निर्धारित स्टाम्प पर माननीय जिला जज खीरी के निर्देशानुसार तहरीरी करना होगा। और इस ठेकानामा तहरीर करने का खर्चा सम्बन्धित ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

17– ठेकेदार के दैवीय आपदा हड़ताल आदि में दुकान बन्द होने पर उसको किसी प्रकार की छूट प्रदान नही की जा सकती।

दिनांक 27.08.2021

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(अनुज कुमार सिंह) सदस्य, ठेका नीलामी समिति/ सिविल जज(जू0डि0), मोहम्मदी–खीरी।	(रूचि श्रीवास्तव) सदस्य, ठेका नीलामी समिति/ सिविल जज(सी0डि0), मोहम्मदी–खीरी।	(सुरेन्द्रपाल सिंह) अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोहम्मदी–खीरी।

कार्यालय नजारत अनुभाग, वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी–खीरी।

इश्तिहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अहाता वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर–खीरी के प्रांगण में स्थित कैंटीन(एक कमरा) वाहन स्टैण्ड, फोटो स्टेट(एक दुकान शटरदार), स्टेशनरी एवं फोटोग्राफी (एक दुकान शटरदार) के प्रत्येक एक दुकान के ठेके हेतु वर्ष 2021–22 के लिए दिनांक 15.09.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अलग–अलग ठेकों की नीलामी दिनांक 13.09.2021 को वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर–खीरी के प्रांगण में अपरान्ह् 4.30 बजे से की जायेगी।

अतएव जिस किसी को उक्त ठेको की नीलामी हेतु बोली बोलना हो, वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त बोली बोल सकता है।

1– स्थायी आवास प्रमाण पत्र

2– फोटो आइ.डी.

3– दो फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं हैसियत प्रमाण पत्र

4– कैंटीन, वाहन स्टैण्ड, फोटो स्टेट व स्टेशनरी, फोटोग्राफर के प्रत्येक एक दुकान आदि की बोली बोलने वाले को बतौर काशनमनी रुपया 10,000/ बोली बोलने के पूर्व उपनाजिर के पास टेण्डर द्वारा नकद जमा करानी होगी। बोली बोलते समय नकद धनराशि काशनमनी के रुप में स्वीकार नही की जायेगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति इस जजी में पूर्व का ठेकेदार है तो उसे दिनांक 10.09.2021 तक उप–नाजिर द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके दाखिल करना होगा।

नं0–5 जिस व्यक्ति के ठेके की बोली नीलामी अधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए समाप्त की जायेगी, उसे अपनी बोली के समाप्त होने के तुरन्त बाद अपनी बोली का 1/2 भाग नकद तुरन्त उप–नाजिर के पास जमा कराना होगा।

6– जो ठेके मु0 10,000/ – रुपये तक की बोली में समाप्त होंगे, उन ठेकों की पूरी रकम ठेके की नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उप–नाजिर के पास काशनमनी के रुप में जमा करानी होगी।

7– जो ठेके मु0 10,000/ – रु0 से अधिक में दिये जायेंगे, उन ठेकेदारो को अपनी बोली का 1/4 भाग तुरन्त तथा शेष 1/3 भाग अक्टूबर, 2021, शेष 1/3 भाग माह दिसम्बर, 2021, शेष 1/3 भाग माह फरवरी, 2022 तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

8– किसी भी ठेके की नीलामी की अधिकतम बोली तब तक अंकित नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उसे माननीय जिला न्यायाधीश खीरी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये। माननीय जिला न्यायाधीश खीरी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेके को अधिकतम बोली बिना कोई कारण बताये स्वीकार न करें तथा कम बोली अपनी बोली इच्छा विवेक से स्वीकार कर लेवें।

9– ठेकेदारों द्वारा जो काशनमनी जमा की जायेगी उसे ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस किया जायेगा तथा उसे समायोजित नही किया जायेगा। यदि कोई ठेकेदार धारा 7 की शर्तों के अनुसार धनराशि समय से नही जमा करता है तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह काशनमनी को जब्त कर ठेका निरस्त कर दें।

10– जिन खाद्य पदार्थो की बिकी के लिए लाइसेंस की जरूरत है, उनके ठेकेदारों को नगरपालिका या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी से या सम्बन्धित विभाग से उन पदार्थो की बिकी के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

11– प्रत्येक ठेकेदार अपनी ठेकेदारी का कार्य स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि या नौकरों के माध्यम से संचालित करायेगा। ठेके का किसी व्यक्ति के नाम स्थानान्तरण नहीं करेगा और न ही किसी को शिकमी किरायेदारी पर देगा, यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह ठेके को निरस्त कर ठेके की धनराशि को जब्त कर लेवे।

12– सभी खाद्य पदार्थों के ठेकेदारी को अपनी दुकान पर बिकी हेतु सामानों की सूची तथा मूल का विवरण टांगना अनिवार्य होगा। सभी खाद्य पदार्थों का मूल व गुणवत्ता स्थानीय बाजार के भाव के अनुरुप होगा। खाद्य पदार्थों के पदार्थों के मूल्यों का निर्धारण प्रभारी अधिकरी नजारत द्वारा किया जायेगा। सभी खाद्य पदार्थों को जाली से ढककर रखना अनिवार्य होगा।

13– सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं कीमत की आकस्मिक जॉच समय–समय पर प्रभारी अधिकारी नजारत, माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी द्वारा की जा सकती है तथा उनके द्वारा समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाता रहेगा।

14– किसी भी ठेकेदार को अपने ठेके के स्थान पर दीवानी न्यायालय के प्रांगण के कोई स्थायी/अस्थाई निर्माण का अधिकार नहीं होगा तथा उन्हें दिनांक 31.03.2022 की सांय 5 बजे तक दीवानी न्यायालय प्रांगण से अपनी दुकान आदि अन्य सामान हटा लेना होगा।

15– साइकिल स्टैण्ड के ठेकेदार प्रत्येक व्यक्ति को जो उनके स्टैण्ड पर साइकिल, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं उसे टिन के दो टोकन जारी करेंगे, जिसमें एक टॉकन सम्बन्धित वाहन पर लगाया जायेगा तथा दूसरा टोकन उसी नम्बर का सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा। तभी सम्बन्धित कोई भी वाहन के खो जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को स्टैण्ड के चारों ओर कांटेदार तार या बांस का बड़ा बाड़ा बनवाकर रखना होगा। सम्बन्धित वाहन उस बाड़े व कांटेदार तार का बाड़ा बनाकर सम्बन्धित वाहन उस बाडे के अन्दर ही रखे जा सकेंगे। सभी दैनिक मासिक स्टाफ हेतु तथा बाहरी व्यक्ति हेतु जो दरें है, साफ साफ शब्दों में स्टैण्ड के बाहर लिखकर टांगना अनिवार्य होगा।

16– जिन ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत होगा, उन ठेकेदारों का स्वीकृति के दिन से 15 दिन के अन्दर वर्ष 2021 22 दिनांक 15.09.2021 से 31.03.2022 तक के लिए दिए गये ठेकों का ठेकानामा निर्धारित स्टाम्प पर माननीय जिला जज खीरी के निर्देशानुसार तहरीरी करना होगा। और इस ठेकानामा तहरीर करने का खर्चा सम्बन्धित ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

17– ठेकेदार के दैवीय आपदा हड़ताल आदि में दुकान बन्द होने पर उसको किसी प्रकार की छूट प्रदान नही की जा सकती।

दिनांक 27.08.2021

(अनुज कुमार सिंह)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज(जू0डि0),
मोहम्मदी खीरी।

(रूचि श्रीवास्तव)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज(सी0डि0),
मोहम्मदी खीरी।

(सुरेन्द्रपाल सिंह)
अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मोहम्मदी–खीरी।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1–नोटिस बोर्ड बाह्य न्यायालय परिसर, मोहम्मदी,

2–नोटिस बोर्ड तहसील परिसर, मोहम्मदी,

3–नोटिस बोर्ड नगरपालिका परिषद, मोहम्मदी,

4–नोटिस बोर्ड ब्लाक, मोहम्मदी,

5–नोटिस बोर्ड बस स्टैंड, मोहम्मदी,

आज्ञा से,

अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मोहम्मदी, खीरी।
27.08.2021